निगरानी / टी.ए./ 5882/ 2004 / जिला उदयपुर
उदा वगैरह बनाम हरूपा वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री बी.एल.मेहरडा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री नरेन्द्र सोनी, अभिभाषक प्रार्थी । श्री एस.एस.राठौड, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–8–04 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखंड अधिकारी गिर्वा के यहां पेश किया। दौराने वाद प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 64, 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम व धारा 151 जाब्ता दीवानी दस्तावेजात रिकोर्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत किया। उपखंड अधिकारी गिर्वा ने उभय पक्ष को सुन कर अपने आदेश दिनांक 13–8–04 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी प्रार्थना पत्रो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि प्रार्थीगण वादीगण के पिता भग्गा ने प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण सं.1 से 4 के पिता एवं 5 व 6 के दादा एवं प्रतिवादी सं.7 के पति भेरा पिता गोपा भील से 99/–रूपये में दिनांक 25–6–58 को भूमि को विक्रय किया गया था तथा उक्त विक्रय पत्र विधिवत् तरीके से स्टाम्प पर लिया गया था व मोतबीरान की उपस्थिति में लिखा जाकर उनके अंगूठे निशानी करवाये थे तथा उक्त विक्रेता भेरा जी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	के विपक्षीगण अप्रार्थीगण वारीसान है। उपरोक्त विक्रय पत्र प्रार्थीगण द्वारा उनके रिश्तेदार खेमजी के यहां सुरक्षित रखा गया था। भग्गा जी की मृत्यु के बाद विवादित आराजी प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में ही है। खेमजी की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र उनके घर से मांगे जाने पर उनके पुत्र धन्ना द्वारा उक्त दस्तावेज काफी तलाशने पर भी नहीं मिलने पर प्रार्थीगण ने विक्रय पत्र की फोटो प्रति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है, जो सेकेण्डरी एवीडेंस में ग्राह्य योग्य है। जिसे रिकोर्ड पर लिया जाना अत्यंत आवश्यक है तथा दावे के निस्तारण में महत्वपूर्ण दस्तावेजत है। किंतु इन समस्त तथ्यों को नजर अदांज करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज करने में निहित क्षेत्राधिकार संबंधी विधिक त्रुटि कारित की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अभिकथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति लोक दस्तावेज अथवा पंजीकृत दस्तावेज अथवा किसी प्रकरण में प्रामाणित दस्तावेज की सत्य प्रति नहीं है। प्रस्तुत फोटो प्रति फर्जी एवं अविश्वसनीय है तथा साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। ऐसे दस्तावेज की फोटो प्रति सेकेण्ड्री ऐवीडेंस के रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की क्षेत्राधिकार सबंधी त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न आलोच्य आदेश का आद्योपांत अवलोकन एंव अध्ययन किया। परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 64, 65 भारतीय साक्ष्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अधिनियम खारिज करने का मुख्य आधार यह लिया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा मूल दस्तावेज की प्रति अब प्रस्तुत नहीं किया है तथा छाया प्रति को भी किसी सक्षम अधिकारी से प्रमाणित नहीं करवाया गया है, जो संदेहप्रद है। इस प्रकार छाया फोटो को सेकेण्ड्री ऐविडेंस में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने विवेक का सकारात्मक उपयोग न्यायहित में करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 64, 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम व धारा 151 सीपीसी विक्रय पत्र की अप्रमाणित छाया प्रति होने से खारिज किया है तथा निगरानी के माध्यम से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में ऐसी कोई त्रुटि कारित नहीं की है जो कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी के दायरे में आती हो। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का जो आदेश पारित किया है, वह पूर्णतः विधिसम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 13—8—04 में ऐसी कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (बी.एल.मेहरडा) सदस्य	

निगरानी / टी.ए./ 5882/ 2004 / जिला उदयपुर
उदा वगैरह बनाम हरूपा वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी

		में जारी हुए